खगड़िया जिला क्रिकेट एसोसिएशन के मामले में सदन का निर्णय

खगडिया जिला क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट गति विधियों के सञ्चालन में आ रही बाधाओं के विचारण के दौरान सीईओ ने सदन में उपस्थित सदस्यों को बताया कि बीसीए को प्राप्त मेल / रिपोर्ट में त्रिसदसयीय कमिटी के निर्देश पर हुए 20-21 अगस्त 2022 को चुनाव को चुनाव पर्वेक्षक ने श्री संजीव कुमार विधायक द्वारा मतदान प्रक्रिया के दौरान जबरदस्ती करने तथा दबाव डाल कर अपने मन मुताबिक पदाधिकारियों को निर्वाचित घोषित करने का दबाव निर्वाची पदाधिकारी पर डाला तथा पर्यवेक्षक को भी चुनाव प्रक्रिया को सही ठहराने का दवाब दिया तथा उनके द्वारा ऐसा नहीं करने पर उनके साथ धक्का मुक्की और अभद्र भाषा के साथ धमकी देने का भी आरोप अपने रिपोर्ट में लगाया है।

खगडिया जिला क्रिकेट एसोसिएशन के श्री विनोद कुमार तथा श्री देवराज कुमार ने भी डा० संजीव कुमार (माननीय विधायक) द्वारा चुनाव प्रक्रिया में मनमानी तथा दबंगई का आरोप अपने मेल में लगाया है। इसके अलावा भी कई आरोप डा० संजीव कुमार के विरुद्ध प्राप्त हुआ है।

अतः सदन ने खगड़िया जिला क्रिकेट के सुचारू सञ्चालन हेतु डॉ संजीव कुमार (परबत्ता के माननीय विधायक) को अवांछित घोषित करते हुए उन्हें बिहार क्रिकेट एसोसिएशन तथा इससे सम्बद्ध किसी इकाई के किसी गतिविधि में भाग लेने से अगले ६ वर्षों के लिए रोक लगाते हुए एक तदर्थ समिति के गठन का निर्णय लिया।

श्री बाबु लाल शौर्य (चेयरमैन)

श्री विनोद कुमार (कन्वेनर)

श्री नीरज कुमार

श्री देवराज कुमार

श्री संजय खान्देलिया

उपरोक्त गठित तदर्थ कमिटी खगडिया जिला क्रिकेट एसोसिएशन के दैनिक कार्यों के सञ्चालन और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संपर्क में रहते हुए क्रिकेट गतिविधियों का सञ्चालन करेगी और 6 माह के अन्दर लोकतान्त्रिक ढंग से निर्वाचित कमिटी के गठन तक कार्यरत रहेगी एवं इस तदर्थ कमिटी को पूर्व के निर्णयों जैसे क्लब के निबंधन सहित अन्यान्य मामलों पर पुनर्विचार तथा निर्णय करने के लिए अधिकृत किया जाता है साथ ही बीसीए के लीगल कमीटी के कन्वेनर श्री रामेन्द्र भारती जी से विधि परामर्श लेते हुए विधिसम्मत रूप से गतिविधियों और कार्यवाहियों का सुचारू सञ्चालन करेंगे।

विशेष आम सभा के निर्णय के आलोक में निर्देशानुसार जारी